UPAU120045422025

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

दाण्डिक वाद सं0–2960/2025

राज्य बनाम आशू उर्फ विवेक कुमार।

मु0अ0सं0–45/2023

धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम

थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त आशू उर्फ विवेक कुमार उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष जुर्म स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त **आशू उर्फ विवेक कुमार पुत्र शिवकुमार** द्वारा जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र स्वेच्छा तथा बिना किसी दबाव के इस आषय से दिया गया है कि प्रार्थी अपना जुर्म अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के इकबाल करना चाहता है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का जुर्म इकबाल स्वीकार कर कम से कम जुर्माना करने की कृपा करें।

अभियुक्त को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि उनको जुर्म इकबाल करने से उसे सजा हो सकती है, किन्तु अभियुक्त की जुर्म स्वीकृति के आधार पर उसे धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP3441

लंचबादः–

दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध अभियुक्त **आशू उर्फ विवेक कुमार** को सुना गया। अभियुक्त का कथन है कि वह गरीब यक्ति है। वह अपने जुर्म को इकबाल करके मुकदमा समाप्त कराना चाहता है। अतः प्रार्थना है कि जुर्म स्वीकृति के आधार पर कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मु0अ0सं0 45/2023, अन्तर्गत धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना बिधूना पुलिस द्वारा प्रेषित किया गया। अभियुक्त का कथन है कि वह गरीब व्यक्ति है, वह मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। अभियुक्त ने जुर्म को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। अभियुक्त द्वारा कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर, अपराध के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त की अर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थिति तथा प्रस्तुत वाद की लम्बितकाल को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम में दोषी पाते हुए मुव0 200/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त **आशू उर्फ विवेक कुमार पुत्र शिवकुमार** को दाण्डिक वाद सं0–2960/2025, मु0अ0सं0–45/2023 अन्तर्गत धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना बिधूना, जिला औरैया के अपराध में

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2026.03.14 14:06:37 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

मुव0 200/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में 04 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा।

दिनांक–14.03.2026

(डॉ0 प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP3441

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–14.03.2026

(डॉ0 प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP3441